UPKU010016632026

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–02,

कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

पीठासीन अधिकारी–परमेश्वर प्रसाद, उच्चतर न्यायिक सेवा–UP06363

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–125/2026

सरकार–बनाम–रफीक

14.03.2026–

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी।

अभियुक्त/साक्षी की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करके मुकदमें को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहता है।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त सत्र परीक्षण संख्या–83/2003, सरकार–बनाम–भुट्टूर उर्फ लतीफ आदि का साक्षी है। उसके पक्षद्रोही होने के आधार पर अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर उसके विरूद्ध प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संस्थित हुआ था।

अतएव आवेदक/अभियुक्त का जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त/साक्षी रफीक को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा–383 बी०एन०एस०एस० में दोषसिद्ध करते हुये मु०–500/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त/साक्षी को तीन दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पत्रावली विधि अनुसार संचित अभिलेखागार हो।

दिनांकः 14.03.2026

(परमेश्वर प्रसाद)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–02,

कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by PARMESHWAR PRASAD
Date: 2026.03.14 11:18:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court